

196

639/2015/866/69-1-15-01(4)/BPTC

उत्तरांचल-सिद्ध,
विशेष अधिकारी
3090 शासन।

1/5/06

PLA-93
CHSDP

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
3090 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 2015

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-जालौन/झांसी व ललितपुर की 04 परियोजनाओं हेतु मूल्य वृद्धि के रूप में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5258/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/2014-15, दिनांक 16 मार्च, 2015, पत्र संख्या-5260/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/2014-15, दिनांक 16 मार्च, 2015, पत्र संख्या-5321/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/2014-15, दिनांक 18 मार्च, 2015 व पत्र संख्या-5259/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/2014-15, दिनांक 16 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-जालौन की नगर निकाय-कालपी की 120 आवासों के सापेक्ष के 162 आवासों व निकाय-कटौरा की 156 आवासों के सापेक्ष 63 आवासों, जनपद-झांसी की निकाय-पिच्छौर की 144 आवासों के सापेक्ष 123 आवासों एवं जनपद-ललितपुर की निकाय-पाली की 144 के सापेक्ष 37 आवासों की 04 परियोजनाओं हेतु क्रमशः ₹0 103.03 लाख, ₹0 217.37 लाख, ₹0 444.06 लाख एवं ₹0 136.12 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, प्रश्नगत परियोजना में हुई मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप संलग्न तालिका के स्तम्भ-10 में अंकित देय अंतर की धनराशि क्रमशः ₹0 23.49 लाख, ₹0 56.46 लाख, ₹0 121.62 लाख व ₹0 41.06 लाख अर्थात् कुल ₹0 242.63 (रुपये दो करोड़ बयानिस लाख तिरसठ हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-407/2015/951-1/69-1-15-14(76)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा नगर निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 में संरक्षित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में आहरित कर व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।
4. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।

क्रमशः.....2

प्रो. जॉय / प्रो. अतुल


10/7/15

5. इन परियोजनाओं की अतिरिक्त धनराशि का अनुमानित अभाव होगा तथा उनके माध्यम से निर्मित इकाई का सर्वमुक्त किया जाने की पूर्ण सुनिश्चितता करा जायेगा कि पूरे स्वीकृत पुनरावृत्ति का प्रतिनिधित्व करने के पर्याप्त समकालिक को-कुल धनराशि परियोजना अंतर्गत के सापेक्ष तैयार अनुमानित धनराशि से किसी भी अधिक नहीं होगी। अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की शर्त में उक्त धनराशि को तैयार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ एवं सम्बन्धित डूडा द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रातिहस्ताक्षरपत्रान्त किया जायेगा।
7. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।
8. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि को बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की सूची का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की सूची पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-298/दस-2012-244/2011, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर-3/4 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. परियोजना में सम्मिलित केन्द्रांश व राज्यांश एवं लाभार्थी अंश की अनुमन्यता की सीमा तक व्यय सुनिश्चित करने का दायित्व सूडा/डूडा का होगा। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त किशतों की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में सूडा/डूडा स्वयं सन्तुष्ट हो लेंगे। यदि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक धनराशि अवमुक्त की जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सूडा/डूडा का होगा।
10. परियोजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने में 30प्र0 के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
12. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेंगे।
13. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वाैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित करेंगे। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।
15. योजना में अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/11, दिनांक 25.01.2011 में विहित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी।
16. लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को दास्तवित रूप से किया जायेगा।
17. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली मूल्यवृद्धि की धनराशि अन्तिम होगी। भविष्य में उक्त परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि के रूप में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतः परियोजना का अवशेष कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. महालेखाकार द्वारा की गई धनराशि समन्वयक करने हेतु एकत्रित (एमओएनएच) संख्या 30प्र020/2015 (संख्या) से सुनिश्चित करा जाने की सभी परियोजना से संबंधित आवासीय इकाई के वित्त व्यय समन्वयक निर्मित शासनादेश संख्या- 1813/2015 (संख्या) 14/2021/07, दिनांक 09 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/09-1 10-14(102)/07, दिनांक 23 जून, 2007 का अनुरूप है एवं आवाजन सहित अन्य किसी कारण से अन्तः धनराशि, यदि कोई हो तो उसे राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

19. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एमओओयू) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इकाई को निर्देशित किया जायेगा।


2 यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 639/2015/866 (1)/69-1-15-01(बजट)/09टीसी, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र020 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जालौन/झांसी/ललितपुर।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
10. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

खतरनाक।

क्र. सं.	जनसंख्या आवासीय संख्या आवासीय संख्या।	मूल परियोजना लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासीय की संख्या।	मूल परियोजना लागत। अनुसूचित वर्ग के आवासीय की परियोजना लागत।	अनुसूचित वर्ग लाभार्थियों हेतु प्रथम द्वितीय किशत व शार्टफाल के रूप में कुल स्वीकृत धनराशि।	परिचालन लागत। अनुसूचित वर्ग पुनरीक्षित परियोजना लागत।	परिचालन लागत के तालेक अनुसूचित वर्ग के आवासीय को परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान सहित)।	परिचालन लागत अनुसूचित वर्ग के आवासीय की परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान सहित)।	पुनरीक्षण लागत अनुसूचित वर्ग के आवासीय की कुल धनराशि।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जालौन/कालपी-120 आवास	328.95	31	84.98	74.69	398.83	103.03	98.18	23.49
2.	जालौन/कटौरा-156 आवास	424.58	63	171.46	149.91	538.25	217.37	206.37	56.46
3.	झासी/पिच्छौर-144 आवास	401.01	123	342.53	300.42	519.87	444.06	422.04	121.62
4.	ललितपुर/पासी-144 आवास	391.96	37	100.71	88.03	529.78	136.12	129.10	41.06
	योग								242.63

(रूपये दो करोड़ बयालिस लाख तिरसठ हजार मात्र)।

आजा से,

 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।

Shasanadesh